

मजिस्ट्रेट... और से अधि...
 म ने प्राणीय पत्र प्रस्तुत कर निष्प...
 29/10/24

50
 (आदि 25.7.23, प्रभावी 1.4.23)
 न्यूनतम
 8850/-
 संचारी की मृत्यु होने की स्थिति में
 पूर्व मृत्यु होने पर- पारिवारिक पेंशन
 की अवधि के लिये या 67 वर्ष की आयु
 कम हो, देय होगी।
 2024 को या उसके बाद हुई
 मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष के
 1. मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप
 मंत्री एवं मन्त्रकक्ष तथा मुख्य
 सचिव
 2. अति मुख्य सचिव, अध्यक्ष,
 राजस्व मन्त्रालय/प्रमुख सचिव
 सचिव एवं सभी विभागप्रमुख
 3. शासन सचिव, विविध शासन
 सचिव तथा उनके समकक्ष
 अधिकारी/अध्यक्ष, विज्ञानिक
 अधिकारण
 4. संयुक्त शासन सचिव, शासन
 उप सचिव एवं समकक्ष
 अधिकारी

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---------------|---|
| 29/10/2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। तकील उपरीषत उपरीषत। तकील पत्रावली को एक पक्षीय बख्त को सुना गया। तबप्रात मिजिय प्रक से सिखा जाक शामिल पत्रावली लिया गया। पत्रावली फंसल शुमादेकत नकल से कम है। 29/10/24 उपखण्ड अधिकारी दुंगला जिला-चित्तौड़गढ़</p> |

न्यायालय उधर

1. श्री बिहारी लाल
 नंगावली, तहसी

1. श्री गोपाल
 नंगावली,

श्रीमति
 निवासी

महोदय

1.

